न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 650/2025

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
श्रीमती गीता पुत्री स्व. पुरखराम पत्नी राणाराम मेघवाल, निवासी– डोली तहसील झंवर हाल– पाल गांव जिला जोधपुर		1. पपाराम पुत्र स्व. पुरखराम 2. सुकली पत्नी स्व. पुरखराम निवासी ग्रम डोली तहसील झंवर 3. ढलकी पत्नी गुलाराम निवासी– मेघवालों की बस्ती, होटल वैन्सर के पास रामदेव मंदिर के पास, चौपासनी, जोधपुर 4. पटवारी, पटवार हल्का नारनाडी तहसील 5. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार झंवर 6. भगाराम पुत्र दौलाराम राईका, निवासी ग्रम डोली तहसील झंवर 7. निखिल माथुर पुत्र नवीनचन्द्र माथुर 8. राधिक डागा पत्नी निखिल माथुर निवासी 467, बी, शिव सदन, 7 बी ए रोड़ सरदारपुरा, जोधपुर। 9. हाजरा बानो पत्नी जहूरखॉ मुसलमान निवासी– राजीव गांधी कॉलोनी, पाल लिंक रोड़, जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 26.05.2025 को अतिरिक्त जिला कलेक्टर, प्रथम जोधपुर के द्वारा प्रथम राजस्व अपील संख्या 20/2025 अनवान श्रीमती गीता बनाम पप्पाराम वगैराह में पारित किया गया

उपस्थितिः–

1. श्री उम्मेदसिह बावरला, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से।
2. श्री सुरेन्द्र विश्नोई, विद्वान अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ओर से
3. श्री गोपालसिंह राजपुरोहित, विद्वान अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 3 ओर से
4. श्री नवलसिंह दहिया, विद्वान राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 4 व 5 की ओर से
5. श्री गजेन्द्र मेहता, विद्वान अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 7 व 8 ओर से
6. श्री मोहम्मद सदीक, विद्वान अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 9 ओर से
7. रेस्पो0 संख्या 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर

:: **निर्णय** ::

दिनांकः 6 मई, 2026

1. अपील पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, प्रथम जोधपुर के द्वारा प्रथम राजस्व अपील संख्या 20/2025 अनवान गीता बनाम पप्पाराम वगैराह प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2025 के द्वारा उक्त प्रथम अपील को पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह द्वितीय अपील दिनांक 3.7.2025 को न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित है। उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा की गई बहस को सुना गया। अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम नारनाडी के भूमि खसरा संख्या 38 बीघा रकबा 24.13 बीघा भूमि स्थित है। जिसके खातेदार पूर्व में उनके दारा सदाराम थे। श्री सदाराम के फौत होने पर अपीलान्ट के पिता पुरखाराम व उनके भाईयों बनाराम, रखाराम, चुनााराम, भानाराम के नाम खातेदारी दर्ज की गई। उपरोक्त भूमि सहखातेदारी की होने के कारण आपसी बंटवाडा किया जिसके अनुसार अपीलान्ट के पिता पुरखाराम व उनके भाईयों के नाम ख0सं0 719/38 रकबा 12.06 बीघा दर्ज हुई। तत्पश्चात अपीलान्ट के पिता पुरखाराम का देहान्त होने पर नामा.संख्या 420 उनकी पत्नी व उनके पुत्रगण के नाम दर्ज किया गया परन्तु अपीलान्ट पुरखाराम की जायन्ता पुत्री होने व प्रथम श्रेणी की वारिसान होने के बावजूद उनका नाम नामा0 में दर्ज नहीं किया। अतः नियम विरूद्ध नामा0 संख्या 420 को निरस्त कर अपीलान्ट का नाम रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश पारित किया जावें।

3. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन भी किया कि उक्त प्रथम अपील में अंकित रेस्पो0 संख्या 3 के द्वारा अपील को मियाद बाहर पेश होने के आधार पर खारिज करने का निवेदन किया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई मियाद प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया परन्तु आवश्यक पक्षकारों के अभाव में अपीलान्ट की अपील पोषणीय नहीं मानते हुए खारिज कर दी गई जो विधि के विपरित होने से निरस्त योग्य है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने जिन पक्षकारों को आवश्यक होना माना है उनके विरूद्ध

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

अपीलान्ट ने कोई इस्तदुआ नहीं की थी और न ही व आवश्यक पक्षकार थे। अपीलान्ट पूर्व खातेदार पुरखाराम की जायन्दा पुत्री होने से प्रथम श्रेणी की वारिसान है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 व राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार भी अपीलान्ट का वादग्रस्त भूमि पर कानूनी हक अधिकार बनता है परन्तु राजस्व कर्मचारियों के द्वारा रेस्पोडेन्टस से मिलीभगती करते हुए नियम विरूद्ध अपीलाधीन नामा0 स्वीकृत कर दिया जो निरस्त करने योग्य था।

4. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन भी किया कि नामा0 संख्या 420 के स्वीकृत होने के उपरान्त रेस्पो0 संख्या 1 व 2 व माधाराम ने रेखाराम के पक्ष में वादग्रस्त भूमि का हकतर्क कर दिया। रेखाराम ने हकतर्क से प्राप्त भूमि का रेस्पो0 संख्या 3 के पक्ष में बेचान कर दिया। इस प्रकार के अपीलान्ट के हक–हिस्से की पुश्तैनी भूमि को हकतर्क करने का अधिकार रेस्पो0 संख्या 1, 2 व माधाराम को था ही नहीं और न ही बेचान करने का अधिकार था जो अपीलान्ट के अधिकारो के विरूद्ध शून्य व निष्प्रभावी है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य थी। अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए यह अंकित किया था कि ग्रामीण परिवेश की अनुसूचित जाति की महिला कौ पैतृक सम्पति में जरिये उत्तराधिकार सम्पमि में हक प्राप्त हो सके। ऐसे में स्वयं अधिनस्थ न्यायालय ने यह स्वीकार कर लिया था कि पैतृक सम्पति है और अपीलान्ट को हक मिलना चाहिये था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने तकनीकी तथ्यों के आधार अपीलान्ट की अपील खारिज कर दी गई। अपीलाधीन आदेश में यह अंकित किया गया है कि पूर्व खातेदार, बनाराम, चूनाराम, भानाराम, रखाराम एवं भगाराम पुत्र दौलाराम राईका, निखिल कुमार, राधिका व अन्य व्यक्तियों को उक्त अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि ये व्यक्ति आवश्यक पक्षकार होने के कारण संयोजित किया जाना आवश्यक है जबकि पूर्व खातेदारों ने रखाराम के पक्ष में हकतर्कनामा कर दिया था। ऐसे में जब इनका कोई हक अधिकार ही नहीं हो तो अपीलान्ट को इन व्यक्तियो के विरूद्ध इस्तदुआ नहीं की थी तथा इन बनाराम, चूनाराम, भानाराम तीनों व्यक्तियों का देहान्त भी हो चुका है और रखाराम का भी ला–औलाद देहान्त हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इन आधारों पर प्रथम अपील को खारिज किये जाने पर न्यायहित में इस द्वितीय अपील में रेस्पोडेन्ट के रूप में पक्षकार बनाया जा रहा है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

दिनांक 26.5.2025 एवं अपीलाधीन नामा0संख्या 420 दिनांक 21.06.1989 को निरस्त करते हुए उक्त विरासत का नामा0 स्वीकृत किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

5. खातेदार लालाराम के फौतेदगी नामा0 की स्वीकृति के पश्चात रेस्पो0 संख्या एक सहित उनकी सभी पुत्रियों ने अपने हक अपीलार्थी के पक्ष में तर्क करने हेतु हकतर्कनामें निष्पादित किये गये जो पंजीकृत भी करवाये गये, इसी प्रकार अपीलान्टस की माता ने उनके पक्ष में हकतर्कनामा निष्पादित कर दिया था। ऐसे में रेस्पो0 संख्या एक को अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं रहा था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर निर्णय करते हुए अपीलाधीन नामा0 संख्या 1562 को खारिज कर दिया गया जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पत्रावली पर यह तथ्य आ चुके थे कि स्वयं रेस्पो0 संख्या एक ने अपीलान्टस के पक्ष में हकतर्कनामा निष्पादित कर अपने हकों का त्याग कर दिया और उक्त हकतर्कनामें का पंजीयन करवा दिया था तो इसके पश्चात विवादग्रस्त भूमि में रेस्पो0 संख्या एक के विरासत के कोई अधिकार बचते ही नहीं थे एवं नामा0 संख्या 1562 को चुनौती देने का भी अधिकार नहीं बचा था। रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा उक्त पंजीबद्ध हकतर्कनामें को जब तब सिविल न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त नहीं करवाया जाता है तब तक पूर्ववर्ती नामा0 संख्या 1562 को चुनौती देने का अधिकार नहीं रहता है। रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा यह कथन किया जाना उनके द्वारा हकतर्कनामें को दीवानी न्यायालय मे चुनौती दी जा चुकी है तो ऐसी स्थिति में दीवानी न्यायालय के निर्णय से पूर्व नामान्तरकरण कार्यवाही करने से बाज आना चाहिये था। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को कोई भी आदेश विचाराधीन वाद के निर्णय के आने तक नहीं देना चाहिये था।

6. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन भी किया कि रेस्पो0 संख्या एक न्यायालयों के समक्ष स्वच्छ हाथो से नहीं आई है। उसने अपीलान्टस के पक्ष में हकतर्कनामा निष्पादित कर उसका पंजीयन करवाया गया एवं बाद में पुत्रमोह में आकर उसने नामा0 संख्या 1562 के अपील पेश कर दी गई, जैसा पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश भी परस्पर विरोधाभासी है, जहॉ एक ओर स्वयं अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना है कि दीवानी न्यायालय में विचाराधीन वाद के निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में पक्षकारों के हक अधिकार दर्ज किये जावेंगे तो फिर उन्हें नामा0 संख्या 1562 को निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं रह जाता है, अधीनस्थ न्यायालय ने

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

करके पक्षकारों को वाद की बाहुल्यता में उलझा दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, वह कानून की नजर में कोई आदेश ही नहीं है, इस निर्णय में न तो अपील स्वीकार करने का कोई कारण दिये गये है और न ही किसी बिन्दू पर कोई स्पष्ट निश्कर्ष दिया गया है। ऐसे में उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.5.2025 सारहीन एवं आधारहीन होने से निरस्त किया जावें एवं अपीलाधीन नामा0 संख्या 1562 को यथावत रखा जावें।

7. प्रत्युतर में रेस्पोडेन्टगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण के द्वारा कथन किया गया कि उनकी ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील में अपीलान्ट की अपील को आधारहीन एवं सारहीन व पोषणीय नहीं होने, मियाद बाहर होने के आधार पर खारिज किये जाने निवेदन किया गया। साथ ही कथन किया कि अपीलार्थीया स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आई है क्योंकि वाादग्रस्त भूमि बाबत निष्पादित पंजीबद्ध दस्तावेजात को आज दिन तक सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी, पंजीबद्ध दस्तावेज अस्तित्व में रहते अपीलाधीन नामा0 को निरस्त नहीं करवाया जा सकता है। अपीलार्थीया ने रेस्पोडेन्टस को ब्लैकमेल करने की नियत से अपीलाधीन नामा0 के स्वीकृत होने के 35 वर्षो पश्चात प्रथम अपील पेश की है जिसका उसको कोई अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त भूमि को अपीलान्ट के माता व भाईयों द्वारा वर्ष 1989 में रखाराम के हक में हकतर्कनामा निष्पादित कर पंजीबद्ध करवाया गया तत्पश्चात इस आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया गया और उसके पश्चात उक्त भूमि को अन्य व्यक्तियों को बेचान कर दी गई और मौके पर वास्तविक कब्जा सुपुर्द कर दिया गया जिसका भी नामान्तरकरण दर्ज कर दिया गया । अपीलार्थी द्वारा दोनों पंजीबद्ध दस्तावेजात की बाबत छुपाते हुए अपील पेश कर दी थी और अपनी माता एवं भाईयों से मिलीभगत करते हुए रेस्पोडेन्ट को तंग परेशान करने की नियत से अपील पेश कर दी जबकि अपीलान्ट को अपीलाधीन नामा0 दर्ज होने की जानकारी रहीं।

8. रेस्पोडेन्टगण के विद्वान अधिवक्तागण के द्वारा कथन किया गया कि अपीलार्थी की माता व भाई यानि रेस्पे0 संख्या 1 व 2 के द्वारा वादग्रस्त भूमि में स्वयं के अलावा पुरखाराम के अन्य कोई वारिसान नहीं होने का कथन करते हुए जैर अपील नामा0 पारित करवाया तत्पश्चात रेस्पो0 संख्या 1 व 2 तथा अन्य द्वारा स्वयं के पास में पैतृक मकान होना कथन

रते हुए उक्त मकान के बदले वादग्रस्त भूमि का वर्ष 1989 में रखाराम पुत्र सदाराम जो अपीलार्थी के सगे चाचा है के हक में पंजीबद्ध हकतर्कनामा निष्पादित करवाया गया, जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी यदि अपना हिस्सा कायम करती है तो उक्त भूमि के बदले अपने पास रखे गये पैतृक मकान में हिस्सा मांग सकती है, हककर्क होने के बाद भूमि को आगे बेचान कर दी गई। उक्त हकतर्कनामा और पंजीबद्ध बेचान दस्तावेज को किसी न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया गया, उनके अस्तित्व में रहते हुए अपीलार्थी किसी प्रकार से हक अधिकार प्राप्त नहीं कर सकती है। अपीलार्थी द्वारा रखाराम को पक्षकार नहीं बनाया गया इसलिये अपीलार्थी की अपील पक्षकारों के असंयोजन व कुसंयोजन के कारण निरस्त करने योग्य है।

9. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के विद्वान अधिवक्तागण के द्वारा कथन किया गया कि अपीलान्ट का वादग्रस्त भूमि पूर्व से ही कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है क्योंकि भूमि पर कब्जा होने की स्थिति में गिरदावरी कायम की जाती है जबकि रखाराम के नाम से वर्ष्र 1989 से कब्जा काश्त होने से गिरदावरी कायम की गई। वर्ष 2008 से आदिनांक तक रेस्पो0 संख्या 3 के नाम गिरदावरी की जाती रही है और वर्ष 2008 से पंजीबद्ध विक्रय विलेख को 03 वर्ष की समय सीमा में चुनौती देने का विधि में प्रावधान है परन्तु पंजीबद्ध हकतर्कनामा को निष्पादित हुए 35 वर्ष हो गये है और किसी प्रकार की चाराजोही नहीं की गई। अपीलार्थीया के द्वारा अपील में यह कहीं नहीं बताया कि पुरखाराम का देहान्त किस दिन व किस तारीख को हुआ और इतने समय तक अपील क्यों प्रस्तुत नहीं की गई।

10. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के विद्वान अधिवक्तागण के द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी की प्रथम अपील को अन्दर मियाद माने जाने का कोई विशेष कारण नहीं बताया है जबकि इस सम्बन्ध में उनकी ओर से लिखित में प्रार्थना पत्र को जवाब पेश करते हुए प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया था। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी की अपील को अन्दर मियाद शुमार किया है वो भी विधि के विरूद्ध है। 35 वर्ष की लम्बी अवधि को कन्डोन करने का कोई ठोस आधार अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना पत्र में नहीं दर्शाया गया है और न ही अपीलान्ट का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त रहा है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रथम अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने के विरूद्ध एक क्रॉस अपील भी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से पेश की जा रही है क्योंकि अपीलान्ट की प्रथम अपील को विधि के विपरित जाकर अन्दर मियाद इस आधार पर शुमार किया गया है कि अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक रही है, जबकि मियाद प्रार्थना पत्र में कोई ठोस आधार, वजुहात अंकित नहीं किये गये है। अपीलान्ट को अपीलाधीन नामा0 संख्या 420 की जानकारी किसके माध्यम से व कैसे हुई, का कोई स्पष्ट आधार अंकित नहीं किया गया है ऐसे में यह जानकारी दिनांक 26.11.2025 को होने का कथन भी माने जाने योग्य नहीं था और कैसे वह अपीलाधीन नामा0 की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की कार्यवाही करती। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इन तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए मियाद प्रार्थना पत्र को गलत रूप से व विधि के विरूद्ध जाकर स्वीकार किया गया है। असाधारण विलम्ब को उपशमन करने हेतु ठोस कारण नहीं दर्शाये जाने, प्रत्येक विलम्ब दिवस का ठोस कारण अंकित किया जाना आवश्यक होता है, नहीं तो किसी भी रूप से असाधारण विलम्ब को माफ नहीं किया जा सकता है। जैसा कि न्यायिक दृष्टान्त 2019 (1) सीसीसी, 166 (एससी), 2014 (11) एससीसी 351 में स्पष्ट किया गया है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश गुणावगुण पर विधिवत है परन्तु मियाद प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निर्णय मनमाना, विधि विरूद्ध प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से तथा अपीलान्ट की प्रथम अपील मियाद बाहर होने से डीले कन्डोन करने के आदेश की हद तक निर्णय अपास्त किया जावे।

12. अपीलान्ट शादी होने के उपरान्त अपने ससुराल जाकर रहने लग गई है। ऐसे में उसके द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में हक अधिकार जरिये राजस्व अपील के तय नहीं कराये जा सकते है क्योंकि भूमि का बेचान आगे से आगे हो चुका है और वर्तमान समय में रेस्पोडेन्टस का कब्जा काश्त बेचान दिनांक से निरन्तर चला रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी की अपील को रेस्पोडेन्टस की ओर से दर्शाये गये कथनों एवं तथ्यों तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन करने मनन करने तथा प्रकरण में घटित घटनाक्रम को मध्यनजर रखते हुए ही प्रथम अपील को खारिज किया गया है जो यथावत रखे जाने योग्य है। अपीलार्थीया के द्वारा प्रथम अपील में पारित अपीलाधीन आदेश को खारिज/निरस्त किये जाने के लिये इस अपील में कोई ठोस कारण अथवा तथ्य नहीं दर्शाये

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

है जिससे उनकी प्रथम अपील पर पारित निर्णय को निरस्त किया जा सके और उनकी अपील स्वीकार की जा सके। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2025 को यथावत रखा जावें।

13. हमने उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपील पर की गई बहस पर गहनता से चिन्तन एवं मनन एवं किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों/अपील, अपीलाधीन आदेश इत्यादि का बगौर अवलोकन किया जिससे यह पाया गया कि अपीलान्ट के द्वारा इस अपील में अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, प्रथम, जोधपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2025 को निरस्त किये जाने हेतु मुख्य रूप से यह कथन किये है कि वादग्रस्त भूमि जो कि वादग्रस्त भूमि उनकी पुश्तैनी खातेदारी की भूमि रही है तथा उनके पिता स्व0 पुरखाराम की खातेदारी में दर्ज रही है तथा उनके देहान्त उपरान्त उनके वारिसान यानि उनकी पत्नी एवं उनके भाईयों के नाम फौतेदगी नामा0 संख्या 420 दर्ज कर दिया गया। जबकि अपीलार्थी भी अपने पिता की जीवित पुत्री होने से उनकी पैतृक भूमि में अपनी माता एवं भाईयों के समान हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी की वारिसान के नाम से नामान्तरकरण दर्ज करवाने की अधिकारिणी है। अतः उनके पिता के देहान्त उपरान्त स्वीकृत किये गये नामा0 संख्या 420 को निरस्त किया जाकर उनका नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावें।

14. इस सम्बन्ध में प्रस्तुत अपील, दस्तावेजों की प्रतियॉ, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससे यह पाया गया कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो अपना विस्तृत रूप से निष्कर्श दिया है, वो तथ्य पूर्ण रूप से उचित प्रतीत होते है क्योंकि अपीलान्ट के द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि के पूर्व खसरा संख्या 38 के स्वीकृत किये गये नामा0 संख्या 420 स्वीकृति दिनांक 21.06.1989 को निरस्त कराये जाने हेतु प्रथम अपील लगभग 35 वर्ष की लम्बी अवधि व्यतित हो जाने के उपरान्त पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट की ओर से पेश की गई प्रथम अपील के संलग्न पेश किये गये मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार कि उनको दिनांक 26.11.2024 को अपीलाधीन नामा0 पारित होने की जानकारी पटवारी हल्का से एवं अपने भाईयो तथा माता के माध्यम से मिली थी परन्तु उक्त

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 26.11.2024 से पूर्व क्यों नहीं हुई, इसके सम्बन्ध में कोई वजह नहीं बताई गई है। जबकि वादग्रस्त भूमि पर उनके भाईयों एवं माता के मकान निर्मित होने के तथ्य उल्लेखित किये हुए है तथा भूमि का बेचान भी होना तथा बेचान की गई भूमि पर अन्य व्यक्तियों का काबिज काश्त होना पाया गया है। रेस्पोडेन्टस की ओर से उक्त मियाद प्रार्थना पत्र का लिखित में जवाब पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त मियाद प्रार्थना पत्र को यह कहते हुए स्वीकार किया गया है कि अपीलान्ट की ओर से अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक रूप से हुई है जिसके कारण अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रथम अपील पेश करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में विलम्ब के प्रत्येक दिवस की गणना तथा स्पष्ट कारण प्रस्तुत किये जाने पर ही विलम्ब को शमन किया जाना चाहिये था, मात्र सद्भाविक देरी के आधार पर मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है, उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इस सम्बन्ध में रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से पेश किये कॉस आब्जेक्शन में अंकित तथ्यों के आधार पर कॉस अपील स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है तथा प्रथम अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने बाबत पारित निर्णय को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

15. इसके उक्त खसरा भूमि की वर्तमान समय में हकतर्क हो जाने अन्य व्यक्तियों को बेचान हो जाने तथा मौके पर उनके कब्जा काश्त होने से राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों इत्यादि में बहुत बदलाव हो चुका है और वर्तमान समय में सभी निष्पादित पंजीकृत दस्तावेज प्रभाव में है, अपीलान्ट के उक्त भूमि में किसी प्रकार का कब्जा काश्त चला आ रहा है, ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य पेश नहीं किया है, जिससे साबित होता हो कि अपीलान्ट ने जो तथ्य अपील में अंकित किये है, वो स्वीकार किये जाने योग्य हो सकते है। अपीलान्ट के द्वारा प्रथम अपील पेश करने के समय उक्त वादग्रस्त भूमि के वर्तमान काश्तकार/खातेदार को पक्षकार संयोजित नहीं किया, जबकि वे भी प्रभावित पक्षकार रहे है तथा जब तक उनके पक्ष में पंजीकृत विक्रय विलेख एवं निष्पादित दस्तावेज को सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लिया जाता तब तक उनके तहत दर्ज किये राजस्व रिकार्ड को किसी प्रकार को न तो बदला जा सकता है और न ही निरस्त किया जा सकता है। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रथम अपील में अपीलान्ट के मियाद प्रार्थना पत्र को अन्दर मियाद शुमार किये जाने बाबत पारित आदेश को निरस्त

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

गया जाता है और प्रथम अपील को मियाद बाधित माना जाता है तथा गुणावगुण पर पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2025 जिसमें अपीलान्ट की अपील को पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं होगा।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील आधारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 6 मई, 2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

6/5/26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर